



जीविका

गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



प्रथम तल, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष :+91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : www.brlni.in

Ref. No: BRLPS / Proj - M1/457/13/(Vol-II)/2654

Date: 11/10/2021

कार्यालय आदेश

(बैंकों के माध्यम से समूह के सदस्यों को बीमा सुरक्षा चक्र से जोड़ने की कार्यनीति)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर ग्रामीण रोजगार के संसाधन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन तथा संकुल स्तरीय संघ आदि) का गठन किया गया है। साथ ही साथ सभी स्तरों के सामुदायिक संगठनों का क्षमतावर्धन कर उन्हें विभिन्न तरह के रोजगार के आयामों से जोड़ने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने हेतु परियोजना एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पूँजी उपलब्ध करवायी जाती है। ऐसी परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार की निरंतर खुशहाली के लिए हर तरह के जोखिम को क्रमशः कम किया जाए। विगत कुछ वर्षों में जीविका परियोजना के द्वारा महिलाओं को निरन्तर बीमा के सुरक्षा चक्र से जोड़ा गया है। इसका प्रभाव समुदाय के मानस पटल पर अच्छा पड़ा है, क्योंकि विपत्ति के घड़ी में बीमा सहायक साबित हो रही है। महिलाएं बीमा के महत्व को समझते हुए इसके दायरे को विस्तृत करने हेतु निरंतर आगे बढ़ रहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 8.6 लाख महिलाएं प्रीमियम की राशि एकत्रित करके बीमा के सुरक्षा चक्र के दायरे में आ गयी थी। यह कार्य “आम आदमी बीमा योजना” के अंतर्गत किया जा रहा था। 25 जुलाई 2017 के तत्काल प्रभाव से “आम आदमी बीमा योजना” को बंद कर दिया गया था तथा इसके बदले नयी अभिसारित “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना” एवं “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” की शुरुवात की गयी। इस नयी अभिसारित “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” एवं “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 12.86 तथा 20.87 लाख महिलाएं प्रीमियम की राशि एकत्रित करके बीमा के सुरक्षा चक्र के दायरे में आ गयी थी। यह कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) के साथ मिलकर किया गया था। वर्णित अभिसारित “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” एवं “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” दिनांक 01/06/2020 के तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गयी है। हलाँकि सम्बंधित योजनाएँ बैंकों के माध्यम से अलग – अलग यथावत चालू हैं, अर्थात् समूह के सदस्यों को बीमा के दायरे में लाने के लिए बैंकों के माध्यम से अब बीमा करवाना होगा। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि बैंकों के माध्यम से किया जाने वाला बीमा अभिसारित नहीं है अर्थात् समूह के महिलाओं को अपना बीमा “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojna – PMJJBY)” एवं “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhanmantri Suraksha Bima Yojna – PMSBY) ” के अंतर्गत अलग – अलग करवाना होगा | अतः यह महत्वपूर्ण रहेगा की सदस्यों को दोनों योजनाओं की मुख्य बातें स्पष्ट रूप से समझा दिया जाए |

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की मुख्य विशेषताएं

- i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अवधि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक होती है | अर्थात् इस वित्तीय वर्ष में बीमा की अवधि 1 जून 2021 से 31 मई 2022 तक होगी | आने वाले वित्तीय वर्षों में भी बीमा की अवधि 1 जून से ले कर 31 मई तक होगी जब तक इसमें कोई बदलाव न किया जाए |
- ii) स्वयं सहायता समूह के ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, उनको उपर्युक्त योजना से जुड़ा जा सकता है | यदि कोई सदस्य 18 से 50 वर्ष के बीच इस योजना से जुड़ा जाता है तो वह इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक ससमय प्रीमियम का भुगतान कर जुड़ा रह सकता है |
- iii) समूह के सदस्यों से यह अपेक्षा है कि अपने अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का भी बीमा बैंकों के माध्यम से करवाएं ताकि आजीविका सम्बंधित जोखिम कम की जा सके |
- iv) इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की कुल राशि 330 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष निर्धारित है | यह राशि सदस्य द्वारा देय होगी | प्रीमियम की राशि प्रतिवर्ष सदस्य के बचत खाते से काटी जाएगी | अतः प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण (Renewal) हेतु बैंक खाते में कम से कम प्रीमियम के बराबर राशि का होना जरुरी है |
- v) बीमा से जुड़ाव के लिए सदस्य का बचत खाता होना जरुरी है तथा यह बचत खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए | सदस्य बीमा के पूर्व इस बात को सुनिश्चित कर लें की उनका बचत खाता आधार से जुड़ा हुआ है |
- vi) उपर्युक्त बीमा योजना के अंतर्गत स्वभाविक मृत्यु की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को दो लाख रूपए (₹. 2,00,000) सम्बंधित बैंक के शाखा द्वारा देय होगा |
- vii) इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु में साजिश या रंजिश होने की स्थिति में बीमा की राशि देय नहीं होगी | साथ ही साथ आत्महत्या के मामले में भी मृत्यु दावे की राशि देय नहीं होगी |
- viii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान है, जिसे विशेष रूप से समझना जरुरी है | इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया है की अगर बीमा होने के 45 दिनों के भीतर बीमित की मृत्यु हो जाती है तो दावे की राशि नॉमिनी को देय नहीं होगी | इस 45 दिनों के अवधि को Lien Period अथवा ग्रहण अवधि कहा जाता है | Lien Period के 45 दिन की वर्णित अवधि में कोई बदलाव आएगा तो इसकी सूचना सभी स्तर पर प्रेषित की जाएगी | साथ ही सदस्यों से अपेक्षित है कि Lien Period की अवधि की जानकारी सम्बंधित शाखा प्रबंधक से जरूर ले लें एवं निरंतर रूप से इसकी जानकारी लेते रहें |

- ix) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार 45 दिनों की ग्रहण अवधि (Lien Period) रखी गयी है। अर्थात् बीमा होने की तारीख (वह तारीख जिस दिन बचत खाते से प्रीमियम की राशि की कटौती की गयी है) से 45 दिनों के अन्दर स्वाभाविक मृत्यु होने पर दावे की राशि देय नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप अगर कोई व्यक्ति 1 जून 2021 को बीमित होता है तो अगले 45 दिनों में स्वाभाविक मृत्यु होने पर कोई रकम देय नहीं होगी। अर्थात् सम्बंधित व्यक्ति की मृत्यु अगर 16 जुलाई 2021 से पहले होती है तो कोई भी रकम उनके नॉमिनी को देय नहीं होगी। यह समझना जरुरी है कि जब बीमा का नवीनीकरण ससमय प्रीमियम की राशि का भुगतान करके किया जायेगा तो आने वाले वर्षों में ग्रहण अवधि (Lien Period) का प्रवाधान लागू नहीं होगा। इस मामले के व्यावहारिक सन्दर्भ को समझना एवं विभिन्न सामुदायिक संगठनों (समूह, ग्राम संगठन तथा संकुल संघ) के स्तर पर स्पष्टता के साथ समझाना अतिमहत्वपूर्ण है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड स्तर पर कार्य कर रहे सभी कर्मियों की होगी। साथ ही सदस्यों द्वारा सम्बंधित बैंक शाखा के अधिकारी से भी इस बाबत जानकारी रखना अति महत्वपूर्ण है।
- x) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जुड़ने के लिए आधार संख्या तथा बचत खाता संख्या का होना अनिवार्य है। आधार संख्या तथा बचत खाता के साथ ही साथ मोबाइल संख्या की जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि बैंक से किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमा करवाने हेतु मोबाइल संख्या देना अनिवार्य नहीं है। यह सुलभता का सूचक है।
- xi) बीमा करवाने हेतु बैंक को सहमति सह घोषणा फॉर्म भर कर देना होता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक वैध होती है। अर्थात् इस वित्तीय वर्ष में बीमा की अवधि 1 जून 2021 से 31 मई 2022 तक होगी। आने वाले वित्तीय वर्षों में भी बीमा की अवधि 1 जून से ले कर 31 मई तक होगी जब तक इसमें कोई बदलाव न किया जाए।
- स्वयं सहायता समूह के ऐसे सदस्य जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, उनको उपर्युक्त योजना से जोड़ा जा सकता है।
- समूह के सदस्यों से यह अपेक्षा है कि अपने अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का भी बीमा बैंकों के माध्यम से करवाएं ताकि आजीविका सम्बंधित जोखिम कम की जा सके।
- इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की कुल राशि 12 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष निर्धारित है। यह राशि सदस्य द्वारा देय होगी। प्रीमियम की राशि प्रतिवर्ष सदस्य के बचत खाते से काटी जाएगी।
- बीमा से जुड़ाव के लिए सदस्य का बचत खाता होना जरुरी है तथा यह बचत खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण (Renewal) हेतु बैंक खाते में प्रीमियम के बराबर राशि का होना जरुरी है।
- उपर्युक्त बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को दो लाख रूपए (₹ 2,00,000) देय होगा। इस योजना के अंतर्गत शारीरिक अपंगता की स्थिति में भी बीमा की राशि देय होती

है। पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख रूपए (₹ 2,00,000) तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपए (₹ 1,00,000) की राशि सम्बंधित बैंक शाखा द्वारा देय होती है।

vii) इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु में साजिश या रंजिश होने की स्थिति में बीमा की राशि देय नहीं होगी। साथ ही साथ आत्महत्या के मामले में भी मृत्यु दावे की राशि देय नहीं होगी।

xii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जुड़ने के लिए आधार संख्या तथा बचत खाता संख्या का होना अनिवार्य है। आधार संख्या तथा बचत खाता के साथ ही साथ मोबाइल संख्या की जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि बैंक से किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमा करवाने हेतु मोबाइल संख्या देना अनिवार्य नहीं है। यह सुलभता का सूचक है।

viii) बीमा करवाने हेतु बैंक को सहमति सह घोषणा फॉर्म भर कर देना होता है।

ix) अगर सदस्य की उम्र 70 साल या उससे अधिक हो गयी है तो इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है।

नोट : यह स्पष्ट करना उचित होगा कि कोई भी सदस्य केवल एक जगह से हीं उपर्युक्त योजनाओं का लाभ ले सकता है अर्थात् अगर किसी समूह के सदस्य का बचत खाता दो बैंकों के साथ है तो ऐसे स्थिति में वो किसी एक बैंक से हीं अपना बीमा करवाए। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में बीमा का लाभ किसी एक जगह से ही मिल पायेगा। ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से पूर्व से निर्धारित है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को विभिन्न स्तर पर चेक किया जाता है, अतः वर्णित सन्दर्भ को ध्यान में रखें।

बीमा करवाने की प्रक्रिया

- i. सर्वप्रथम इच्छित सदस्य को अपने घरेलु शाखा से सहमति सह घोषणा फॉर्म लेना होगा। यह उचित होगा कि जब दीदी बैंक जाएँ तो साथ में आधार एवं बचत खाते की प्रति ले कर जाएँ।
- ii. सहमति पत्र भरने के दौरान अथवा बीमा करवाते समय नॉमिनी का चयन अतिमहत्वपूर्ण होता है। बीमा करवाते समय नॉमिनी के रूप में सामान्यतः पति का नाम देना चाहिए। अगर पति का नाम उपलब्ध न हो तो ऐसे स्थिति में बालिग पुत्र या पुत्री का नाम देना चाहिए। अगर किसी कारणवश नॉमिनी के रूप में 18 साल से कम उम्र के बच्चे का नाम लिखा जाता है, तो ऐसे स्थिति में अभिभावक का नाम लिखना अनिवार्य है, अन्यथा दावे के निपटारे के समय समस्या हो सकती है। साथ ही साथ सम्बंधित व्यक्तियों (सदस्य एवं नॉमिनी) का आधार कार्ड एवं बैंक खाता में प्रविष्ट नाम का मेल करवाना भी सुनिश्चित करें।
- iii. सहमति पत्र भरने के उपरांत संलग्न में आधार एवं बचत खाते की प्रति लगा दें।
- iv. यह भी सुनिश्चित कर लें कि खाते में 330 रूपए की राशि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) हेतु तथा 12 रूपए की राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) हेतु बचत खाते में उपलब्ध है। बचत खाते में

शेष न होने की स्थिति में कम से कम कुल 342 रूपए (330 + 12) जमा कर दें। हलाँकि यह उचित रहेगा की खाते में कुछ अधिक राशि जमा हो।

v. खाते से उपरोक्त राशि का सम्बंधित बीमा मद में कट जाना ही बीमा होने का प्रमाण है। बीमा करवाने के उपरांत बीमित को सम्बंधित शाखा से बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रखंड परियोजना ईकाई स्तर पर तैयारी

यह उचित रहेगा कि बीमा कि तैयारी प्रखंड स्तर पर बैंकों से संवाद स्थापित करके किया जाए और एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे महिलाओं तथा बैंक दोनों के साथ समन्वय स्थापित हो सके। बीमा करवाने हेतु नामांकन फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, अतः प्रत्येक प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को नामांकन फॉर्म के प्रिंट अथवा फोटोकॉपी हेतु 20,000 रूपए का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाता है। यह बजट प्रखंड स्तर पर उपलब्ध प्रिंटिंग मद के बजट के अतिरिक्त है। सभी प्रखंड ईकाईयों को यह निदेशित है कि बीमा से सम्बंधित जो भी सामग्री प्रिंट/फोटोकॉपी होती है तो इसकी प्रविष्टि Stock Register में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बंधित सामग्री की प्रिंटिंग/फोटोकॉपी प्रखंड अथवा जिला स्तर पर सुलभता अनुसार सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही साथ यह उचित होगा कि बैंकों से अधिक से अधिक नामांकन फॉर्म लेने की कोशिश जाये एवं इसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

बीमा हेतु समूह से अग्रिम का प्रावधान

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने हेतु समूह से सदस्यों को 350 रुपये का ब्याज़ रहित ऋण दिया जा सकता है। इस ऋण की वापसी 10 से 12 बराबर मासिक किश्तों में करवायी जा सकती है। इस ऋण के ऊपर किसी प्रकार का ब्याज़ देय नहीं होगा। यह प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के पत्रांक दिनांक 23/06/2021 के अलोक में रखा गया है। जिसकी प्रति कार्यालय आदेश के साथ अनुलग्नक – I के रूप में सलंग्र की जा रही है।

सामुदायिक स्तर पर किया जाने वाला बीमा वृहद पैमाने पर सार्वभौमिक कवरेज (Universal Coverage) की ओर बढ़ रहा है, अतः यह उचित होगा की ऐसे परिवारों के सदस्यों का भी मोबिलाइजेशन हेतु साथ लिया जाए जिनके परिवार में मृत्यु दावे की राशि का भुगतान हुआ है। ऐसे परिवारों का अनुभव समूह कि वैसी महिलाएँ जो अभी तक बीमा के सुरक्षा चक्र में नहीं आई हैं के लिए लाभदायक एवं प्रेरणादायक भी होगी। यह समूह के महिलाओं के बीच बीमा के दायरे को और बढ़ाने में मददगार भी साबित होगा। यह उचित होगा की ऐसे परिवार के सदस्यों की सेवा साधन सेवी (Resource Person) के तौर पर ली जा सकती है। अतः प्रत्येक प्रखंडों के द्वारा ऐसे परिवार के सदस्यों की सेवा 01 सितम्बर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच 30 दिनों के लिए ली जा सकती है। यह अपेक्षित है की सम्बंधित परिवार के सदस्य एक दिन में कम से कम तीन गाँव का भ्रमण करते हुए अपने अनुभवों को साझा करेंगे। यह उचित रहेगा की क्षेत्र के भ्रमण के पूर्व प्रखंड क्रियान्वयन स्तर पर इसकी पूर्ण कार्य

योजना (जैसे – सम्बंधित क्षेत्र का चयन, वहां के सामुदायिक संगठक से समन्वयन, बैठक का आयोजन आदि – आदि) बना ली जाए। इस कार्य हेतु सम्बंधित साधन सेवी (Resource Person) को 200 रूपए प्रति दिन (अधिकतम 30 दिनों के लिए) परियोजना मद से भुगतान की जा सकती है। यह वित्तीय वर्ष 2021 – 22 तक ही मान्य होगी।

मृत्यु दावों का निपटारा

बीमा के कार्यक्षेत्र में दावों का निपटारा उतना ही महत्व रखता है जितना की बीमा करवाना। प्रखंड क्रियान्वयन इकाई एवं सामुदायिक संगठन (विशेषतः ग्राम संगठन तथा संकुल संघ) की मूल जिम्मेदारी बनती है कि शोक संतुष्ट परिवार को जल्द से जल्द बीमा की राशि दिलवाने का प्रयास करें। बैंकों से किये गए बीमा में दावों के निपटारे हेतु बैंक ही नोडल संस्था है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है की प्रखंड स्तर के कर्मी एवं सामुदायिक संगठन (विशेष रूप से ग्राम संगठन एवं संकुल संघ) दावे के निपटारे की प्रक्रिया को समझ लें।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु दावे के निपटारे की प्रक्रिया

- i) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर सर्वप्रथम सम्बंधित बैंक शाखा को सूचित करना होगा। मृत्यु की सूचना देने का कार्य परिवार के व्यक्तियों द्वारा करना अतिआवश्यक होगा। मृत्यु के 5 दिनों के अन्दर सामान्यतः यह सूचना सम्बंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराना उचित होगा। हालाँकि मृत्यु की सूचना जितनी जल्दी हो सके, बैंक शाखा तक उपलब्ध करवाना जरुरी है। शाखा प्रबंधक को सूचना देने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ अनुलग्नक – II के रूप में संलग्न है।
- ii) यह महत्वपूर्ण होगा कि बैंक के साथ - साथ ग्राम संगठन तथा संकुल संघ को भी इसकी सूचना प्रदान कर दी जाए ताकि दावे के निपटारे में सम्बंधित परिवार को सहयोग प्राप्त हो सके।
- iii) कंप्यूटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना।
- iv) सम्बंधित बैंक शाखा से दावा प्रपत्र (CLAIM FORM) प्राप्त कर लें।
- v) सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) तथा परियोजना कर्मी के सहयोग से दावा प्रपत्र (CLAIM FORM) भरना।
- vi) स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में दावा प्रपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमित महिला के पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति, नॉमिनी के आधार कार्ड की प्रति, नॉमिनी के पासबुक की प्रति (ध्यान रहे कि नॉमिनी का बचत खाता आधार युक्त अर्थात् आधार खाते से जुड़ा होना चाहिए, जनधन खाता या पेमेंट बैंक के खाते में दो लाख की राशि का हस्तानान्तरण नहीं हो पाता है) संलग्न करना आवश्यक है। दावे के निपटारे हेतु उपरोक्त दस्तावेज बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा सामान्य रूप से मांगे जाते हैं, बीमा कंपनी जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकती है या इनमें कुछ छुट दे सकती है। दावा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी अनिवार्य रूप से दावा प्रपत्र भरने के पूर्व सम्बंधित बैंक शाखा से ले लेनी चाहिए ताकि भविष्य में दावे के निपटारे में कोई समस्या नहीं हो।

- vii) दावा प्रपत्र (Claim Form) को सम्बंधित बैंक शाखा में मृत्यु के उपरांत 30 दिन के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें तथा इसकी पावती भी प्राप्त कर लें।
- viii) दावे की राशि नॉमिनी के बैंक खाते पर प्राप्त होती है। राशि प्राप्त होने के उपरांत नॉमिनी के द्वारा प्रखंड क्रियान्वयन इकाई/ग्राम संगठन/ संकुल संघ में इसकी सूचना साझा करने से सभी इकाई एकजुट हो कर कार्य कर सकते हैं। प्रखंड क्रियान्वयन इकाई सभी मृत्यु दावों का विवरण एक रजिस्टर में सम्मय अधिकार करना होगा। बीमा दावा सह निपटारा रजिस्टर का प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ अनुलग्नक - III के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दावे के निपटारे की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्न दो स्थितियों में बीमा के दावों का भुगतान किया जाता है :

- 1) **दुर्घटना मृत्यु** : अगर बीमित सदस्य की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में बीमित के नॉमिनी को दो लाख रूपए देय है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर दावों के निपटारे हेतु नॉमिनी द्वारा निम्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा :
 - i) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर सर्वप्रथम सम्बंधित बैंक शाखा को सूचित करना होगा। यह कार्य परिवार के व्यक्तियों द्वारा करना अतिआवश्यक होगा। मृत्यु के 5 दिनों के अन्दर सामान्यतः यह सूचना सम्बंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराना उचित होगा। हालाँकि मृत्यु की सूचना जितनी जल्दी हो सके, बैंक शाखा तक उपलब्ध करवाना जरुरी है। शाखा प्रबंधक को सूचना देने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ अनुलग्नक - II के रूप में संलग्न है।
 - ii) दुर्घटना से सम्बंधित FIR दर्ज करवाना एवं इसकी नकल प्रति न्यायालय से प्राप्त करना।
 - iii) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर सम्बंधित बैंक शाखा, ग्राम संगठन, संकुल संघ तथा प्रखंड परियोजना इकाई को सूचित करना होगा।
 - iv) पोस्ट - मोर्टेम रिपोर्ट (Postmortem) की नकल प्रति न्यायालय से प्राप्त करना।
 - v) कंप्यूटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना।
 - vi) अंतिम पुलिस रिपोर्ट की नकल प्रति न्यायालय से प्राप्त करना।
 - vii) सम्बंधित बैंक शाखा से दावा प्रपत्र (CLAIM FORM) प्राप्त करना।
 - viii) सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) तथा परियोजना कर्मी के सहयोग से दावा प्रपत्र (CLAIM FORM) भरना।
- ix) दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में दावा प्रपत्र के साथ FIR की नकल प्रति, पोस्ट - मोर्टेम रिपोर्ट की नकल प्रति, अंतिम पुलिस रिपोर्ट की नकल प्रति, कंप्यूटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमित महिला के पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति, नॉमिनी का आधार कार्ड की प्रति, नॉमिनी के पासबुक की प्रति (ध्यान रहे की नॉमिनी का बचत खाता आधार युक्त अर्थात् आधार से जुड़ा होना चाहिए, जनधन खाता या पेमेंट बैंक के खाते में दो लाख की राशि का

हस्तानान्तरण नहीं हो पाता है) संलग्न करना आवश्यक है। दावे के निपटारे हेतु उपरोक्त दस्तावेज बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा सामान्य रूप से मांगे जाते हैं, बीमा कंपनी जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकती है या इनमें कुछ छुट दे सकती है। दावा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी अनिवार्य रूप से दावा प्रपत्र भरने के पूर्व सम्बंधित बैंक शाखा से ले लेनी चाहिए ताकि भविष्य में दावे के निपटारे में कोई समस्या नहीं हो।

- ix) दावा प्रपत्र (Claim Form) को सम्बंधित बैंक शाखा में जमा करना एवं उसकी पावती प्राप्त करना।
- x) दावे की राशि नॉमिनी के बैंक खाते पर प्राप्त होती है। राशि प्राप्त होने के उपरांत नॉमिनी के द्वारा प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई/संकुल संघ/ग्राम संगठन में इसकी सुचना प्रदान करनी होगी। प्रखंड क्रियान्वयन इकाई सभी मृत्यु दावों का विवरण एक रजिस्टर में सम्मय अधिकारी करना होगा। जिसका प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ अनुलग्नक - III के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

2. पूर्ण एवं आंशिक अपंगता

अगर किसी दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दावा की राशि मांगी जा सकती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि शारीरिक अपंगता दो प्रकार की होती है :

- i) पूर्ण अपंगता
- ii) आंशिक अपंगता

पूर्ण अपंगता :- अगर किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में दो आंख, दो हाथ या दो पैर में से कोई भी दो अंग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे **पूर्ण अपंगता** माना जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में दो पैर, या फिर एक हाथ और एक पैर, या एक आंख और एक हाथ क्षतिग्रस्त हो जाता हैं और भविष्य में यह अंग किसी कार्य योग्य नहीं रह जाते तो यह स्थिति पूर्ण अपंगता के श्रेणी में आएगी। **पूर्ण अपंगता** की स्थिति में बीमित व्यक्ति को दावा स्वरूप दो लाख रूपए सम्बंधित बैंक शाखा से देय होती है।

आंशिक अपंगता:- अगर किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना में दो आंख, दो हाथ या दो पैर में से कोई एक अंग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे **आंशिक अपंगता** माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप अगर किसी व्यक्ति का दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना में एक पैर, या फिर एक हाथ, या एक आंख क्षतिग्रस्त हो जाता हैं और भविष्य में यह अंग किसी कार्य योग्य नहीं रह जाता तो यह स्थिति आंशिक अपंगता के श्रेणी में आएगी। ऐसी स्थिति में दावे की राशि के रूप में एक लाख रूपए सम्बंधित बैंक शाखा से देय होती है।

किसी भी अपंगता (पूर्ण या आंशिक) की स्थिति में दावे की राशि को प्राप्त करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :

- i) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर सर्वप्रथम सम्बंधित बैंक शाखा को सूचित करना होगा। यह कार्य परिवार के व्यक्तियों द्वारा करना अतिआवश्यक होगा। मृत्यु के 5 दिनों के अन्दर सामान्यतः यह सूचना सम्बंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराना उचित होगा। हालाँकि मृत्यु की सुचना जितनी जल्दी हो सके, बैंक शाखा तक उपलब्ध करवाना जरुरी है। शाखा प्रबंधक को सूचना देने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय आदेश के साथ अनुलग्नक - II के रूप में सलंग्रह है।
- ii) दुर्घटना से सम्बंधित FIR दर्ज करवाना एवं इसकी नक्ल प्रति न्यायालय से प्राप्त करना।
- iii) बीमित व्यक्ति की दुर्घटना की सुचना सम्बंधित बैंक शाखा, ग्राम संगठन, संकुल संघ तथा प्रखंड परियोजना इकाई को प्रदान करना।
- iv) अपंगता प्रमाण पत्र बनवाना।
- v) अंतिम पुलिस रिपोर्ट की नक्ल प्रति न्यायालय से प्राप्त करना।
- vi) सम्बंधित बैंक शाखा से दावा प्रपत्र (CLAIM FORM) प्राप्त करना।
- vii) सामुदायिक संगठक तथा परियोजना कर्मी के सहयोग से दावा प्रपत्र (CLAIM FORM) भरना।
- x) दुर्घटना के कारण होने वाली अपंगता की स्थिति में दावा प्रपत्र के साथ FIR की नक्ल प्रति, अंतिम पुलिस रिपोर्ट की नक्ल प्रति, अपंगता प्रमाण पत्र की प्रति, बीमित महिला के आधार कार्ड एवं पासबुक की प्रति (ध्यान रहे की बीमित का खाता आधार युक्त अर्थात् आधार से जुड़ा होना चाहिए, जनधन खाता या पेमेंट बैंक के खाते में दो लाख की राशि का हस्तानान्तरण नहीं हो पाता है) सलंग्रह करना अति आवश्यक है। दावे के निपटारे हेतु उपरोक्त दस्तावेज बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा सामान्य रूप से मांगे जाते हैं, बीमा कंपनी जरुरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकती है या इनमें कुछ छुट दे सकती है। दावा प्रपत्र के साथ सलंग्रह किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी अनिवार्य रूप से दावा प्रपत्र भरने के पूर्व सम्बंधित बैंक शाखा से ले लेनी चाहिए ताकि भविष्य में दावे के निपटारे में कोई समस्या नहीं हो।
- viii) दावा प्रपत्र को सम्बंधित बैंक शाखा में जमा करना एवं उसकी पावती प्राप्त करना।
- ix) दावे की राशि बीमित के बैंक खाते पर प्राप्त होती है। राशि प्राप्त होने के उपरांत बीमित को प्रखंड क्रियान्वयन ईकाई/संकुल संघ/ग्राम संगठन में इसकी सुचना प्रदान करनी होगी।

प्रोत्साहन राशि एवं उसका भुगतान

सामुदायिक संगठकों (Community Mobilizers) को बीमा करवाने तथा बैंकों से दावों का निपटारा करवाने के उपरांत प्रोत्साहन राशि देय होगी। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि दावों के निपटारे हेतु बैंक शाखाओं में गुणवत्ता दस्तावेज़ जमा करना अति आवश्यक है। अतः दावा प्रपत्रों (Claim Documents) की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना सामुदायिक संगठकों के साथ – साथ सम्बंधित बैंक मित्र की भी जिम्मेदारी होगी। बैंक मित्र से यह अपेक्षित है कि सम्बंधित बैंक शाखा में त्रुटि मुक्त दावा प्रपत्र जमा करवाने के साथ – साथ दावों के निष्पादन हेतु शाखा प्रबंधक के साथ समय – समय पर अनुसरण (Follow up) करेंगे। यदि अन्य पूरक दस्तावेजों की जरुरत हुई तो बैंक मित्र ऐसी



स्थिति में सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) एवं नॉमिनी से समन्वय स्थापित करते हुए इसे शाखा में जमा करवाना सुनिश्चित करवाएंगे। बैंक मित्र की यह जिम्मेदारी होगी कि नॉमिनी के खाते में दावा राशि का भुगतान होने के उपरांत इस की सूचना प्रखंड परियोजना प्रबंधक, सामुदायिक संगठक सम्बंधित संकुल संघ एवं मॉमिनी को प्रदान करेगी। बैंक मित्र को दावों के निपटारे में बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन राशि देय है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान परियोजना मद से किया जाएगा। बैंकों के माध्यम से करवाए जा रहे बीमा एवं दावों के निपटारे में सहयोग हेतु सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) तथा बैंक मित्र को देय प्रोत्साहन राशि की गणना निम्न टेबल से की जा सकती है:-

क्रम	विवरण	समय - अवधि	भुगतान कब करें	प्रोत्साहन राशि के दावेदार	प्रोत्साहन राशि (रूपए में)
1.	नया बीमा (PMJJBY + PMSBY)	लागु नहीं	बीमा के उपरांत	सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer)	10
2.	बीमा का नवीनीकरण (PMJJBY + PMSBY)	लागु नहीं	नवीनीकरण के उपरांत	सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer)	10
3.	प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 51 से 70 साल की आयु तक की सदस्यों का बीमा अथवा नवीनीकरण	लागु नहीं	बीमा अथवा नवीनीकरण के उपरांत	सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer)	5
4.	मृत्यु/अपांगता दावे का निपटारा होने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि	मृत्यु के 45 दिनों के अन्दर	सम्बंधित बैंक शाखा से दावा राशि भुगतान के उपरांत	सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer)	1000
		मृत्यु के 46 से 60 दिनों के अन्दर			750
		मृत्यु के 60 दिनों के बाद			500
5.	बैंकों से समन्वय स्थापित करने हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि	लागु नहीं	समबंधित बैंक शाखा से दावा राशि भुगतान के उपरांत	बैंक मित्र	500

बीमा करवाने हेतु सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) को देय प्रोत्साहन राशि के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021 – 22 तथा वित्तीय वर्ष 2022 – 23 तक के लिए मान्य हैं। सामुदायिक संगठक बीमा करवाने से सम्बंधित प्रोत्साहन राशि की मांग अनुलग्नक – IV में दिए गए प्रारूप को भर कर कर सकती हैं। मृत्यु दावों का निपटारा होने

के उपरांत इससे सम्बंधित प्रोत्साहन राशि की मांग सामुदायिक संगठक तथा बैंक मित्र के द्वारा अनुलग्नक - V में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप में की जा सकती है।

समूह सदस्यों का बीमा गतिविधि के दौरान Digitization

परियोजना के निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के आधार कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण आवश्यक है। यह उचित रहेगा कि बीमा अभियान के दौरान हीं सम्बंधित सदस्यों के आधार एवं बैंक खाते का विवरण भी प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए। अतः सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को यह निर्देशित है कि सम्बंधित समूह सदस्यों के आधार एवं बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर लें तथा इसकी प्रविष्टि सम्बंधित मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Application) के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु समूह सदस्यों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। सदस्यों से सहमति पत्र प्राप्त करने का प्रारूप अनुलग्नक - VII के रूप में इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न है। समूह सदस्यों के बैंक खातों से सम्बंधित अद्यतन किये गए विवरण के सत्यापन हेतु पासबुक की प्रति को सम्बंधित मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Application) में अपलोड करना आवश्यक है। उपरोक्त कार्यों हेतु सामुदायिक संगठकों को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन राशि देय है, जिसका विवरण निम्न है :

क्र० स०	विवरण	प्रोत्साहन राशि
1)	समूह सदस्य का नाम एवं आधार संख्या को मोबाइल एप्लीकेशन में अद्यतन करना	Rs. 2 प्रति सदस्य
2)	समूह सदस्य के व्यक्तिगत खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक तथा शाखा का नाम एवं IFS कोड) को मोबाइल एप्लीकेशन में अद्यतन करना	Rs. 2 प्रति सदस्य
3)	समूह सदस्य के पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जहाँ खाता संख्या, सदस्य का नाम, तथा अन्य विवरण दर्ज हैं) की प्रति को मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करना	Rs. 2 प्रति सदस्य

सामुदायिक संगठकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उपरोक्त विवरण को सम्बंधित मोबाइल एप्लीकेशन में अद्यतन करने के उपरांत किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का समायोजन हेतु NRLM के तहत Capacity Building – Honorarium/Incentive to community professionals बजट शीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। समायोजन हेतु उपरोक्त बजट शीर्ष का उपयोग सभी 534 प्रखंडों के लिए किया जाएगा।

जिन सदस्यों का बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना अथवा दोनों के अंतर्गत हो गया है उन संदस्यों का बीमा से सम्बंधित विवरण Insurance Application में अद्यतन करना अनिवार्य है।

यह कार्य भी सामुदायिक संगठकों द्वारा किया जाएगा तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को यह निदेशित है कि बीमा अभियान के साथ – साथ बीमित सदस्यों का विवरण भी Insurance Application में अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

यह निदेशित है की कार्यालय आदेश की एक प्रति सभी परियोजना कर्मियों, सभी सामुदायिक संगठक (Community Mobilizers) एवं सभी ग्राम संगठन तथा संकुल संघ में उपलब्ध करवायी जाएगी। सभी सम्बंधित व्यक्तियों/संगठनों के द्वारा प्राप्त कार्यालय आदेश की प्रति का विवरण Insurance File बना कर रखा जाएगा। इसमें की गयी कोताही अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बन सकती है। इस हेतु सभी प्रखंड परियोजना इकाई को 5000 रूपए की राशि सम्बंधित आदेश की प्रति ग्राम संगठन एवं संकुल संघ में उपलब्ध करवाने हेतु उपयोग में लाने का निदेश दिया जाता है। इसका भी समायोजन निर्धारित बजट के अलावा होगा। इसका उपयोग प्रखंड स्तर/ज़िला स्तर के माध्यम से किया जा सकता है। सभी संकुल संघ तथा ग्राम संगठनों में इस कार्यालय आदेश पर विस्तृत चर्चा अनिवार्य है।

यह कार्यालय आदेश तकाल प्रभाव से लागू होगा।



बाला मुरुगन डॉ

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

अनुलग्नक:

1. MORD letter dated 23/06/2021
2. आवेदन पत्र (बैंकों को सूचनार्थ)
3. बीमा दावा सह निष्पादन पंजी
4. आवेदन पत्र – बीमा करवाने में सहयोग हेतु प्रोत्साहन राशि
5. आवेदन पत्र-मृत्यु दावे के भुगतान में सहयोग करने हेतु प्रोत्साहन राशि
6. मृत्यु दावे के भुगतान हेतु जरूरी दस्तावेजों की संक्षिप्त विवरणी
7. सहमति पत्र का प्रारूप
8. MORD letter dated 29/06/2021

File No: I-12011/31/2016-RL(C) -Part (1)
 Government of India
 Ministry of Rural Development
 Department of Rural Development
 (RL Division)

7th Floor, NDCC -II Building,
 Jai Singh Road, New Delhi -110001
 Date: 23rd June, 2021

To

The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary,
 Department of Rural Development of all States/UTs.

Subject: Advisory on Life, Accidental and Health risk coverage of SHGs members under DAY-NRLM.

Madam/Sir,

As you are aware, the poor households face more vulnerability and risks in the form of death, loss of assets, unstable income sources, health issues and other unforeseen disasters. During the last year and in past few months, lakhs of people have been affected with COVID 19 pandemic, which has amplified the risk manifold. A substantial portion of rural poor, including SHG households, find it difficult to afford the high hospitalization cost in case of severe disease. High expenditure on health is also one of the main reasons for pushing population into below poverty line. All these have once again re-emphasized the basic and urgent need for life & health insurance coverage of every household.

It has been observed that SRLMs have been making efforts to cover SHG members under life, accidental and health insurance schemes; however, extent of coverage is still low, barring in a few states. Further, some of SRLMs are yet to institutionalize the claim management system.

In the above-mentioned context, it is of utmost importance that all eligible SHG member/households should be covered under Life Insurance (PMJJBY), Accidental insurance (PMSBY) and Health Insurance (PM-JAY/State specific health insurance schemes) in a time bound manner. In this context the following actions are advised, in order to ensure universal coverage of Life and accident insurance for SHG members:

1. **Make provision for insurance financing fund in all SHGs:** Every eligible SHG member may be provided interest free loan of Rs. 350 *from their own corpus*, specifically for enrollment under PMJJBY and PMSBY. This amount may be repaid by members in 12 months from the date of sanction. It may be noted that all members of the SHGs should be provided the loan amount in one-go. For subsequent years, this amount may be provided to members during the months of April & May, so that timely renewal is ensured. In case SHGs are short of funds, VO/ CLF may provide necessary funds to the SHG from the available CIF.
2. Necessary arrangements may be made to ensure that each member deposits the amount in their individual bank account with the support of locally available business correspondent or in coordination with local bank branches.
3. Support should be extended to SHG members for filling up of the enrollment forms for PMJJBY & PMSBY; and preferably it should be filled on the day of loan

- disbursement to ensure proper utilization of fund. Services of Bima Skahi, Bank Sakhi, BC Sakhi, FL-CRP or other cadres may be taken for this purpose.
4. SRLMs should have system of providing incentive to community institutions/cadres for facilitating enrollment & renewal.

Expected outcome: It is expected that at least 60-70% of SHG members should be covered under life and accidental insurance by March 2022.

Claim Management System: The basic claim management system should necessarily be operational in all Intensive districts/blocks of the state.

- i. State unit of SRLM should put in place a monitoring system and each district should share number of claims reported and settled on monthly basis with them.
- ii. There should be one trained cadre '*Bima Sakhi*' (*preferably from existing cadres*) at CLF level, facilitating claim reporting & settlement. SRLMs should have guidelines in place to provide honorarium to Bima Sakhi in line with the existing norms.
- iii. Basic details of PMJJBY & PMSBY should be displayed in all CLFs/GPLFs and VO offices through printed poster/wall painting and name, mobile number & address of Bima Sakhi etc.
- iv. **Reporting of claims:** It has been observed that there is huge gap in the number of deaths/accidents that actually take place v/s those reported. As per broad estimates, approx. 3.0 death per thousand enrollment under PMJJBY/life insurance and 20-25 incident per lakh enrolment under PMSBY is to be expected. This can be considered a kind of thumb rule for evaluating adequacy of claims being reported from districts/blocks.
- v. **Settlement of reported claims:** As per the existing guidelines, all reported claims should be settled within 30 days of filling it.

- II. **Coverage of SHG members under health insurance:** Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) provides cashless access to health cover of Rs. 5 lakhs per family per year in all empaneled public and private hospitals across country. Basic features of the scheme:

- i. **Coverage:** The households are covered based on SECC 2011 i.e. PM-JAY cover all such families in rural areas who fall into at least one of the following six deprivation criteria (*D1 to D5 and D7*) and automatic inclusion (*destitute/ living on alms, manual scavenger households, primitive tribal group, legally released bonded labour*).
- ii. **Premium:** PM-JAY is fully funded by the Government and cost of implementation is shared between the Central and State Governments. Hence, beneficiaries are not required to pay any premium to avail the benefits of this scheme.
- iii. **Implementation arrangement:** For implementation of PM-JAY, State/UTs government have created a dedicated architecture i.e. State Health Agency (SHA) which is being headed by a CEO. SHA is nodal agency and responsible for all day to day implementation of PM-JAY in the state. The state wise list of SHA and CEOs are available on pmjay.gov.in.

For effective implementation of PM-JAY, following arrangements should be made:

1. **Spreading awareness:** Large scale awareness about the scheme and its benefits should be repeatedly communicated to community through awareness camps, trainings, part of regular agenda for discussion in SHGs/VOs/CLFs meetings. Services of FL CRP and other cadres should be used for the purpose. Details of PM-JAY scheme in form of printed poster/wall painting should be posted in each CLFs/GPLFs and VO offices.

2. Mobilization for verification of beneficiary & issuance of e-Card:

- SHG members and other family members should be mobilized for one time verification at nearest CSC center/empanelled hospitals preferably with Aadhar card or any other photo based individual government ID like voter card, PAN card etc.
- An online authentication of member/family details will be performed and mobile number will be validated (in case member/family don't have mobile, they can provide mobile number of any known person).
- Once the eligible beneficiary is verified, an individual e-card will be issued at CSC center/empaneled hospitals.
- Member can use the e-Card to avail the services in all empanelled public and private hospitals across country.

3. Coordination with SHA: As SHA is the nodal agency in a state, it is suggested to establish partnership/converge with them to cover all left out eligible SHG members under the scheme and implement above mentioned steps.

It is worthwhile to mention that some States are also implementing their own health insurance schemes. The RD department/ SRLMs may decide upon the appropriate scheme with an objective to ensure maximum coverage and hassle free services to SHGs households.

Expected outcome: It is expected that at least 60% of SHG members/households should be covered by March, 2022. As per a broad estimate, a substantial portion of SHG members/households are already covered under PM-JAY/state scheme. Hence, SRLMs should coordinate with SHA/state implementing agency to update the coverage.

I would also like to share that from FY 2021-22 onwards there will be separate national award for best performing SRLM in Insurance.

It is requested to initiate action, as mentioned above, and regularly monitor the status. The Ministry may be kept informed regarding action taken in this connection.

Yours faithfully,



(Nita Kejrewal)

Joint Secretary to the Govt. of India

Copy to:

The SMD/CEOs of SRLMs of all States/UTs.

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

बैंक का नाम —

शाखा का नाम —

विषय — PMJJBY एवं PMSBY के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना

महाशय/महाशया,

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि (बीमित व्यक्ति का नाम), जिनका
खाता संख्या (बैंक खाता संख्या) है, आपके शाखा के
अंतर्गत PMJJBY एवं PMSBY के अंतर्गत बीमित थी | दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु दिनांक
..... को प्राकृतिक/आकस्मिक (टिक का निशान लगायें) कारणों से हो गयी है |
इस सम्बन्ध में दावा प्रपत्र (Claim Form) तथा सम्बंधित दस्तावेजों को आपके शाखा में जल्द से जल्द
जमा कर दिया जाएगा |

अतः आग्रह है कि उपरोक्त बीमित व्यक्ति के मृत्यु दावा से सम्बंधित प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने
की कृपा की जाए |

आपका विश्वासी

प्रतिलिपि:

- 1) प्रखंड परियोजना प्रबंधकइकाई
- 2) महिला जीविका संकुल स्तरीय संघ

आवेदक का नाम :

आवेदक का हस्ताक्षर
बीमित व्यक्ति से सम्बन्ध
पता
मोबाइल संख्या

प्रखंड सर पर अधितन की जाने वाली वीमा दरवा सह निष्पादन पंजी

जिला का नाम :

प्रखंड का नाम :

क्र० स०	विवरणोंअर्थात् सदस्या का नाम	शैक को मृत्युदुर्घटना की सुधारा की तरीख	स्थान का नाम	V.O का नाम	शैक का नाम जहाँ से वीमा जहाँ से वीमा हुआ था	गाड़ा का नाम जहाँ से वीमा जहाँ से वीमा हुआ था	वीमित का छाता संख्या निश्चिक अन्तिंग वीमा हुआ था	प्राप्त की तरीख	नीतिनी का नाम नीतिनी से दिशा	नीतिनी का शैक छाता राजा प्राप्त करने की (समान्तर्दुर्घटना)	दरवा का प्रकार दरवा का प्रकार (समान्तर्दुर्घटना)	दरवा का दरवा तरीख	कुल दरवा राशि	अधिष्ठिक	प्रखंड का नाम :
															प्रखंड का नाम :
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

नोट : यह एक प्रखंड भवा पर अधितन की जावें

आवेदन पत्र – बीमा करवाने में सहयोग हेतु प्रोत्साहन राशि

सेवा में,

अध्यक्ष महोदया,

..... ग्राम संगठन

प्रखंड :

विषय : बीमा करवाने से सम्बंधित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु
महोदया,

मैं (सामुदायिक संगठक/अन्य) का नाम) आपके
..... ग्राम संगठन के अंतर्गत के रूप में (पद का नाम)
कार्यरत हूँ। इस वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम संगठन के 18 से 50 वर्ष की कुल (PMJJBY तथा PMSBY दोनों
के अंतर्गत) एवं 51 से 70 वर्षों की कुल (केवल PMSBY के अंतर्गत) समूह सदस्यों का बीमा बैंकों के
माध्यम से करवाया है, जिसका प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न है। प्रोत्साहन राशि से सम्बंधित मांग की गणना निम्न है :

क० स०	विवरण	बीमित सदस्यों की संख्या	प्रोत्साहन राशि दर	कुल राशि
1)	PMJJBY सह PMSBY के अंतर्गत बीमित सदस्य		10	
2)	PMSBY के अंतर्गत बीमित सदस्य (केवल 51 से 70 वर्ष के लिए)		5	
-कुल मांग राशि				

अतः आपसे अनुरोध है की बीमा करवाने से सम्बंधित प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने
की कृपा की जाए। प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मेरा बैंक बचत खाता संख्या
..... (खाता संख्या लिखें) है जोकि बैंक
(बैंक का नाम) के शाखा (शाखा का नाम) के साथ है एवं इसका IFS CODE
..... है।

ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन

आपका विश्वासी

नाम :

पद :

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

VO का नाम :

नोट : बीमित सदस्यों की पासबुक की प्रति संलग्नक के रूप में रखना अनिवार्य है। इसी आधार पर प्रोत्साहन राशि देय होगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल बीमित सदस्यों
की समूह वार संख्या

सामुदायिक संगठक का नाम :

ग्राम संगठन का नाम :

गाँव का नाम :

पंचायत का नाम :

प्रखंड :

जिला का नाम :

क० स०	समूह का नाम	बीमित सदस्यों की संख्या		समूह द्वारा सत्यापन
		PMJJBY के अंतर्गत	PMSBY के अंतर्गत	
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				

8)				
9)				
10)				
12)				
13)				
14)				
15)				

आवेदन पत्र – मृत्यु दावे के भुगतान में सहयोग करने हेतु प्रोत्साहन राशि

सेवा में,

अध्यक्ष महोदया,

..... ग्राम संगठन/संकुल संघ
प्रखंड :

विषय : दावा निपटारे से सम्बंधित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु
महोदया,

मैं (सामुदायिक संगठक/बैंक मित्र का नाम) आपके
..... ग्राम संगठन/संकुल संघ के अंतर्गत के
रूप में (पद का नाम) कार्यरत हूँ | हमारे ग्राम संगठन/बैंक शाखा के
अंतर्गत कुल दावों का निपटारा बैंकों के सहयोग से करवाया गया है जिसका विवरण निम्न है :

क० स०	बीमित का नाम	नॉमिनी का नाम	नॉमिनी से रिश्ता	बैंक तथा शाखा का नाम (जहाँ से बीमा हुआ था)	मृत्यु की तारीख	दावा राशि प्राप्ति की तारीख	दावे की राशि	प्रोत्साहन राशि
कुल प्रोत्साहन राशि								

अतः आपसे अनुरोध है की बीमा दावा निपटारे से सम्बंधित प्रोत्साहन
राशि कि भुगतान करने की कृपा की जाए | प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मेरा बैंक बचत खाता संख्या
..... (खाता संख्या लिखें) है जोकि बैंक
(बैंक का नाम) के शाखा (शाखा का नाम) के साथ है एवं इसका IFS CODE
..... है | दावा निपटारे सम्बंधित प्रमाण इस आवेदन के साथ संलग्न है |

ग्राम संगठन/संकुल संघ द्वारा अनुमोदन

आपका विश्वासी

नाम :

पद :

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

VO/CLF का नाम :

नोट: नॉमिनी/दावा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पासबुक की प्रति संलग्नक के रूप में रखना अनिवार्य है। इसी आधार पर प्रोत्साहन राशि
देय होगी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के दावों के निपटारों हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दावों के निपटारों हेतु न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दावों के निपटारों हेतु न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज
दुर्घटना मृत्यु होने पर	शारीरिक अपंगता की स्थिति में
1. दावा प्रपत्र	1. दावा प्रपत्र
2. कंप्यूटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से	2. कंप्यूटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से
3. बीमित के आधार कार्ड की फोटोकॉपी	3. बीमित के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
4. बीमित के पासबुक की फोटोकॉपी	4. बीमित के पासबुक की फोटोकॉपी
5. नॉमिनी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी	5. नॉमिनी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
6. नॉमिनी के पासबुक अथवा बैंक स्टेमेंट की फोटोकॉपी	6. नॉमिनी के पासबुक अथवा बैंक स्टेमेंट की फोटोकॉपी या कैसल चेक की मूल प्रति नकल प्रति न्यायालय से
7. FIR (प्राथमिकी), Post-mortem Report तथा Final Police Report की नकल प्रति न्यायालय से	7. FIR (प्राथमिकी), Post-mortem Report तथा Final Police Report की नकल प्रति न्यायालय से

नोट: दावे के निपटारे हेतु उपरोक्त दस्तावेज बैंकों तथा बीमा कंपनियों द्वारा सामान्य रूप से मांग जाते हैं, बीमा कंपनी जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकती है या इनमें कुछ छुट दे सकती है। दावा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी अनिवार्य रूप से दावा प्रपत्र भरने के पूर्व सम्बंधित बैंक शाखा से ले लेनी चाहिए ताकि भविष्य में दावे के निपटारे में कोई समस्या नहीं हो। परियोजना द्वारा भविष्य में ऐसे दस्तावेजों की सूची भी अधितन की जायेगी जो मृत्यु दावे/अपांता दावे के भुगतान में सहायक सिद्ध होगी।

सहमति पत्र

पुस्तक नं. १००

हम जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो की ग्राम संगठन से जुड़ा हुआ है यह सहमति देते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार एवं DAY - NRLM ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार मेरे आधार संख्या का उपयोग DAY – NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में हमारी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने हेतु कर सकता है।

क्र० सं०	समूह सदस्या का नाम	समूह सदस्या का आधार नंबर	खाता संख्या	बैंक तथा शाखा का नाम	IFS CODE	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
7)						

क्र०	समूह सदस्या का नाम	समूह सदस्या का आधार नंबर	खाता संख्या	बैंक तथा शाखा का नाम	IFS CODE	हस्ताक्षर/अंगठे का निशान
8)						
9)						
10)						
11)						
12)						
13)						
14)						
15)						

यह सत्यापित किया जाता है उपर्युक्त जानकारी को समूह के सदस्यों की सहमति से प्रेषित किया गया है एवं यह त्रुटी रहित है।

F. No.I-12011/14/2014-RL(C)
 Government of India
 Ministry of Rural Development
 Department of Rural Development
 (RL Division)

7th Floor, NDCC-II Building
 Jai Singh Marg, New Delhi
 29th June 2021

To
 The State Mission Directors/CEOs
 All SRLMs

Sub: Updating profiles of all SHG members – Regarding.

Sir/Madam,

In line with the priorities of Government of India, DAY-NRLM has adopted Universal Financial Inclusion of SHG members as a key mandate under the programme. To enable SHG members draw advantage of the Financial Inclusion efforts, it is important that complete information of each individual SHG member is available. However, it has been observed that in the SHG database under DAY-NRLM, information like - Name of members as per official record; individual bank account details and copy of KYC documents of all SHG members are not available. To facilitate capture the missing details, DAY-NRLM with support from NIC has developed an android application for easy capture and digitization of such details for each SHG members.

In this regard, all SRLMs are requested to make necessary arrangements for the following:

1. Launch a campaign for updating profile of each SHG member details with details like – Name as per official record/ aadhar; individual bank account number; Mobile number and KYC details. (Detailed implementation plan and User Manual for Android Application is attached)
2. Facilitate SHG members without any saving bank a/c to open account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna.
3. Ensure seeding of aadhaar number into individual savings bank accounts of SHG member.
4. Ensure collection of physical consent forms for sharing of aadhar number with MoRD (Copy of consent form attached as annexure-II)

All expenses related to the exercise may be booked under 'Capacity Building' – [Component B2] under NRLM. SRLMs are requested to keep the Ministry of Rural Development informed about the progress in this regard on a monthly basis.

Yours faithfully,

(Nita Kejrewal)
 Joint Secretary to the Govt. of India

Copy to:

1. Additional Secretary (Rural Development), Govt of India
2. Principal Secretary/ Secretary – Rural Development, All State Governments.

Implementation arrangements for updating profile of SHG members

1. Constitute a coordination committee for the exercise at the State level under the leadership of SMD/ CEO and involving thematic teams – Institution Building & Capacity Building, Financial Inclusion and M&E/ MIS.
2. Identify nodal persons and trainers for each district/block for the exercise
3. Arrange ToT of nodal persons with support from NMMU
4. Identify adequate number of Community Resource Persons (CRPs) in each block who may be entrusted the task of capturing the information through mobile application. Existing CRPs like Book keepers/ Community trainers/ Bank Sakhi/ FL-CRP/ BC-Sakhi etc may be used for the task
5. Conduct training of the identified CRPs by District/ block level nodal persons
6. Provide user credentials to CRPs for mobile application
7. Make blank copies of consent form available to CRPs
8. Capture of information by CRPs including signed consent forms
9. Verification of data at block/ district level

Expenditure:

All expenses related to the exercise may be booked under 'Capacity Building' – [Component B2] under NRLM. The expenditure ceilings for various tasks have been fixed as below:

- Entry of New SHG member with updated details like Aadhar, consent form, individual bank account and upload of KYC document – **Rs.6/- per member**
- Updating of member name and Aadhar number (including consent form) – **Rs 2 per member**
- Updating of individual bank account number – **Rs 2 per member**
- Updating of KYC details - **Rs 2 per member**

Payment to CRPs may be based on the actual tasks done by each CRPs. Reports on work done by each CRPs will be available on the web-portal.